तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रामेश्वर बनाम जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर** **187 / 11 (आरसीएमएस नं.2011 / 00003)**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15.04.19	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट अनुपस्थित। प्रकरण में आवाज दिलवाई अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही तत्पश्चात् प्रकरण में पुनः रूक–रूककर कई बार आवाज दिलवाई गई किन्तु अपीलान्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2011 से विचाराधीन चल रहा है तथा अधिवक्ता अपीलान्ट को अंतिम अवसर भी दिया गया है उसके उपरान्त भी अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित नही है तथा अपीलान्ट की ओर से अन्य कोई भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील को अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, तहत रिकार्ड वापस लौटाया जावे तथा पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (के0सी0वर्मा) संभागीय आयुक्त जयपुर।	